

फर्द अहकाम

भौरा देवी बनाम पुत्रो सर वी.

नाम न्यायालय उपरकण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 109/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/10/23	<p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन कार्य को प्रारंभ/काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभिक पूर्वानुसार दिनांक 20/10/23 ई</p>	
	23/10/23	<p>पत्रावली पेश हुई / नवीन प्रावली अर्थात् पत्रावली प्रारंभिक दिनांक 16/11/23 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">उपरोक्त जमवारामगढ़</p>	
	16/11/23	<p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन कार्य को प्रारंभ/काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभिक पूर्वानुसार दिनांक 21/12/23 को पेश है।</p>	
	21/12/23	<p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन कार्य को प्रारंभ/काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभिक पूर्वानुसार दिनांक 13/2/24 ई</p>	
	28/12/23	<p>पत्रावली में प्राचीन अभिलेख द्वारा शीघ्र सुनवाई प्रावली पत्र पेश करने पर पत्रावली न्यायालय में तलब की गयी। प्रावली को अवलोकन किया गया, शीघ्र सुनवाई प्रावली पत्र को स्वीकार कर शामिल मिश्रण किया गया। प्रावली को अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रावलीकों को नीटिस जारी रखे जाऊँगा और भिजवाये गये थे लेकिन अप्रावलीकों वावजूद सुनवाई न्यायालय में अनुपस्थित रहे। उस : अप्रावलीकों सं. 1 लगातार 24 है</p>	

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

फर्द अहकाम

गौरा देवी

बनाम पुरुषोत्तम वर्मा

जम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारमण्ड

कस संख्या 109/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>विरुद्ध इस्तरफा कार्यवाही अमल में लगी जाकर वकील पक्षी को बुला गया बुकि पुरुषोत्तम समल में निस्तारण करते प्रोग्र है अतः वकील की बचस सुनने व प्रजावली का अवलोकन करते पूर प्राधिकाओं का प्रयोग पर अन्तर्गत धारा 128 LRA के से गुणावर्णों के आधार पर स्वीकार किया जाता है, तथा निस्तृत निवेदन पृष्ठक से लिखा जाकर शामिल मिश्रण किया गया प्रजावली कैशाल कुमार दोरत नम्बर से कम है तथा बाद प्रति दफतर दारिखल है।</p>	

उप खण्ड अधिकारी
जमवारमण्ड